विचार बिन्दु

जैसे जीने के लिए मृत्यु का अस्वीकरण ज़रूरी है वैसे ही सृजनशील बने रहने के लिए प्रतिष्ठा का अस्वीकरण ज़रूरी है। –डॉ. रघुवंश

वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान से सुधरेगा राजस्थान

वर्तमान भारतीय सार्वजनिक विमर्श में 'वंदे गंगा' का नारा केवल एक भावनात्मक प्रतिध्वनि नहीं रहना चाहिए। यदि यह अभियान वास्तविक परिवर्तन के रूप में काम करना है तो उसे भव्य नारे से आगे बढ़कर जमीन पर टिकाऊ नीतियों, प्रभावशीलता और स्थानीय स्वामित्व का रूप लेना होगा। यह सत्य राजस्थान जैसे राज्य के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ प्रकृति की कठोरताओं ने पीढ़ियों को जल-संरक्षण की लोक-ज्ञान पर निर्भर होने के लिए मजबूर किया है, परन्तु नवीनतम दशकों में अपर्याप्त नीतिगत प्राथमिकता और सामुदायिक हिस्सेदारी के अभाव ने उन संसाधनों को कमजोर कर दिया है जिन पर जीवन निर्भर है। राजस्थान के संदर्भ में वंदे गंगा केवल किसी नदी का संरक्षण नहीं; यह राज्य की सामाजिक-आर्थिक संरचना, ग्रामीण आजीविका और सांस्कृतिक आत्मसम्मान का प्रश्न है।

सबसे पहले, हमें यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि राजस्थान का जल संकट केवल जल की कमी का सरल रूपांतरण नहीं है। यह संकट भूजल के निरंतर गिरते स्तर, कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की निर्भरता, शहरीकरण के दबाव और जल-प्रबंधन की संस्थागत अपरिपक्वता का संगम है। इन कारणों से जल-क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है: कुछ जिलों में अत्यधिक जल है और अन्य में अति-शुष्कता। नीति निर्माताओं का दायित्व है कि वे इस बहुआयामी संकट को समेकित रूप से समझें और समाधान को भी समेकित रखें। पारंपरिक समाधानों बावड़ी, तालाब, कुंआ और जोहड़ की बहाली को आधुनिक जल-प्रौद्योगिकी और नियामक सुधारों के साथ जोड़ना होगा। केवल पुनरुद्धार से हासिल सफलता अस्थायी होगी जब तक कि संचालन, अनुरक्षण और समुदायों को अधिकार नहीं मिलते।

राजस्थान में जल-संरक्षण की ठोस रूपरेखा के लिए चार क्रियात्मक दिशाएँ स्पष्ट दिखती हैं: संरक्षण और बहाली, वर्षा-जल संचयन, कृषि-क्रांति का जल-क्षम रूपांतरण, और सामाजिक-नियामक पुनर्गठन। संरक्षण और बहाली का अर्थ है न केवल सूखे तालाबों की खुदाई या बावड़ियों की मरम्मत, बल्कि जल-स्त्रोतों का मानचित्रण, उनकी कायाकल्प योजनाएँ और दीर्घकालिक रखरखाव निधि सुनिश्चित करना। राज्यों और केंद्र को मिलकर उन तालाबों व नालों की सूची बनानी चाहिए जिनका पुनरोद्धार तत्कालिक है; साथ ही बजटीय मदों में स्थिरता लानी होगी ताकि मरम्मत और रखरखाव कार्य मुहैया रह सकें। यह काम केवल सरकारी एजेंसियों पर ही निर्भर नहीं रह सकता। स्थानीय पंचायतों और समुदायों को निर्णय और निष्पादन दोनों में भागीदार बनाया जाना चाहिए। इसके अभाव में मरम्मत की लागत बार-बार लगाने के बावजूद संसाधन बार-बार बिगड़ते रहेंगे।

वर्षा-जल संचयन को राजस्थान में रणनीतिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य के भौगोलिक वास्तविकताओं को देखते हुए छोटी-छोटी संरचनाओं जैसे चेकडैम, नहरों पर रोक, खेतों में पानी रोकने वाली संरचनाएँ और छत-स्तरीय संचयन प्रणालियाँ अधिक प्रभावी हैं। वर्षा-जल संचयन केवल भौतिक निर्माण नहीं है; यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। इसलिए इन परियोजनाओं में स्थानीय श्रम का समावेश, पारदर्शी कार्यप्रणाली और संचयनित जल के उपयोग के स्पष्ट नियम आवश्यक हैं। कुछ ग्रामों में तालाबों का सामुदायिक प्रबंधन सफल हुआ है जब गाँवों ने स्वयं निधि जुटाई और नियमित रखरखाव का जिम्मा लिया ऐसे मॉडल को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूलों, पंचायत भवनों और सार्वजनिक भवनों के छतों पर संचयन टैंक बनाकर शहरी-ठाामीण दोनों क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता सुधारी जा सकती है।

सबसे पहले, हमें यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि राजस्थान का जल संकट केवल जल की कमी का सरल रूपांतरण नहीं है। यह संकट भूजल के निरंतर गिरते स्तर, कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की निर्भरता, शहरीकरण के दबाव और जल-प्रबंधन की संस्थागत अपरिपक्वता का संगम है। इन कारणों से जल-क्षेत्रीय असमानता बढ़ी हैः कुछ जिलों में अत्यधिक जल है और अन्य में अति-शुष्कता। नीति निर्माताओं का दायित्व है कि वे इस बहुआयामी संकट को समेकित रूप से समझें और समाधान को भी समेकित रखें।

कृषि में जल-क्षम बदलाव करना राजस्थान के दीर्घकालिक हित में है। यहाँ की कृषि परंपरागत रूप से जल-गहन फसलों पर निर्भर रही है लेकिन अब जल-संवर्धन और किसान-आय सुरक्षा दोनों को संतुलित करना आवश्यक है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे सिंचाई तकनीकों का प्रसार, सूखा-प्रतिरोधी फसल-प्रजातियों का विकास और कृषि-प्रशिक्षण अनिवार्य हैं। पर यह तभी चलेगा जब किसानों को बाज़ार और मूल्य-सुरक्षा मिले। केवल प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं; किसानों को एमएसपी, बाज़ार पहुँच और फसल-बदल के आर्थिक प्रोत्साहन चाहिए ताकि वे जोखिम उठाकर जल-कुशल विकल्प अपना सकें। राज्य को इन सबके लिए वित्तीय सहायताएँ और सब्सिडी मॉडल सोचने होंगे, पर साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये प्रोत्साहन दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन लाएँ, न कि केवल अस्थायी टेकओवर बनकर रह जाएँ।

सामाजिक और संस्थागत पुनर्गठन इस अभियान का निर्णायक पक्ष है। पानी का प्रबंधन केवल इंजीनियरिंग का प्रश्न नहीं; यह शासन, अधिकार बाँटने और जवाबदेही का विषय है। ग्राम स्तरीय वाटर यूज़ कमेटियाँ, महिला-प्रमुख समितियाँ और युवा निगरानी समूहों को अधिकारात्मक रूप से न केवल सलाहकार बल्कि निर्णय-कर्ता बनाया जाना चाहिए। महिलाओं को विशेष स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घरेलू जल-प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ अक्सर उन्हीं पर केंद्रित रहती हैं और वे व्यवहारिक सुधारों को धरातल पर लाने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही, डिजिटल निगरानी स्थानीय स्तर पर जल-स्तर सेंसर, मोबाइल रिपोर्टिंग और पारदर्शी सार्वजनिक डैशबोर्ड निगरानी और जवाबदेही में मदद कर सकते हैं। डेटा-संचालित दृष्टिकोण से नीति-निर्माता बेहतर संसाधन आवंटन कर पाएँगे और भ्रष्टाचार या अनियमितताओं पर बेहतर नियंत्रण होगा।

नीति-निर्माता और राजनीतिक नेतृत्व का रुख निर्णायक होगा। वंदे गंगा जैसे अभियानों के लिये दीर्घकालिक बजट आवंटन, पारदर्शी निगरानी तंत्र और स्थानीय समुदायों को वास्तविक प्रशासनिक अधिकार देना आवश्यक है। नीति केवल प्रोजेक्ट-आधारित अनुदान नहीं होनी चाहिए बल्कि संस्थागत बदलाव पर केन्द्रित हो उदाहरणतः जल-स्त्रोतों का अधिकारिक मानचित्रण, जल-उपयोग पर कर या शुल्क के संरचित मॉडल, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी का सुव्यवस्थित ढाँचा। और निजी निवेश को भी लोकहित के छोटे-स्तरीय जल-परियोजनाओं से जोड़ा जा सकता है, बशर्ते उनकी निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।

संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव को भी नीति के साथ जोड़ा जाना चाहिए। 'वंदे गंगा' का भावनात्मक अपील एक सामाजिक मंच प्रदान करता हैयह लोक-मानस में जल के प्रति सम्मान का भाव जगाने का अवसर है। मंदिरों, मेलों और सार्वजनिक आयोजनों में जल-शुद्धता और संचयन के आदर्शों को प्रचारित कर व्यवहारिक बदलाव लाया जा सकता है। स्कूलों में जल-संरक्षण को पाठ्यक्रम का भाग बनाकर युवा पीढ़ी में यह संस्कार डाला जा सकता है कि पानी एक सीमित संसाधन है और उसकी हर बूंद महत्वपूर्ण है।

अन्ततः, राजस्थान के लिए वंदे गंगा केवल एक अभियान नहीं; यह एक अवसर है अपनी पारंपरिक जल-प्रबंधन परम्पराओं को पुनर्जीवित करने, आधुनिक विज्ञान और स्थानीय लोकतंत्र को जोड़ने और राज्य को जल-लचीलापन प्रदान करने का अवसर। अगर राज्य सरकार, नीति-निर्माता, स्थानीय समुदाय, वैज्ञानिक और निजी क्षेत्र मिलकर दीर्घकालिक, पारदर्शी और समावेशी रणनीति बनाते हैं, तो राजस्थान न केवल अपने जल संकट से उबर सकता है बल्कि वह देश के अन्य शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथा का मॉडल भी बन सकता है। यह सफर कठिन होगा, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक सहभागिता की माँग करेगा, पर विकल्प सीमित हैं: या तो हम जल को अनदेखा कर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर गहरा प्रभाव देखने के लिए तैयार रहें, या हम अब सक्रिय होकर अपनी नदियों, तालाबों और भूमिगत जल-स्त्रोतों की रक्षा करें। 'वंदे गंगा' का असली अर्थ तब समझेगा कि जब यह केवल नारे न रहकर हर गाँव की तालाब-दीवार, हर खेत की नाली और हर घर की छत पर नज़र आए।

–अतिथि सम्पादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

डिजिटल परीक्षा, सुरक्षित भविष्य : नीट परीक्षार्थियों के लिए सीबीटी प्रणाली की व्यवहार्यता

प्रोफेसर अशोक कुमार

भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना देश के भविष्य के लिए अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है! हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई कि अगले वर्ष से मेडिकल प्रवेश परीक्षा को पेन-पेपर मोड से बदलकर कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इस कदम से परीक्षा की शुचिता बढ़ेगी, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा और मूल्यांकन प्रक्रिया तेज होगी। तकनीकी दृष्टि से यह एक प्रगतिशील कदम प्रतीत होता है! नीट परीक्षा में लगभग 25 लाख छात्र बैठते हैं। वर्तमान में यह परीक्षा ऑफलाइन (पेन-एंड-पेपर और ओएमआर शीट) मोड में एक ही दिन, एक ही समय पर आयोजित की जाती है। इतनी विशाल संख्या में भौतिक प्रश्नपत्रों की छपाई, उनका परिवहन और देश भर के हजारों सुदूर केंद्रों पर उनकी सुरक्षा करना पेपर लीक के जोखिम को अत्यधिक बढ़ा देता है।

यदि हम जेईई की तर्ज पर नीट को भी कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी प्रणाली में परिवर्तित कर दें, तो 25 लाख छात्रों की शुचिता पूर्ण (पारदर्शी और सुरक्षित) परीक्षा न केवल संभव है, बल्कि यह वर्तमान संकट का सबसे वैज्ञानिक समाधान भी है। नीचे विस्तार से विश्लेषण किया गया है कि इसे कैसे और किन चरणों में पूरी तरह सुरक्षित रूप से लागू किया जा सकता है:–

1. बहु-सत्र और बहु-दिवसीय प्रारूप : 25 लाख छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा एक ही दिन में कराना तकनीकी और बुनियादी ढांचे के लिहाज से असंभव है। इसके लिए परीक्षा को 10 से 12 दिनों के चक्र में विभाजित करना होगा।

यदि परीक्षा 10 दिनों तक चलती है और प्रतिदिन 2 शिफ्ट (सुबह और शाम) आयोजित की जाती हैं, तो कुल 20 सत्र होंगे। 25 लाख छात्रों को 20 सत्रों में बांटने पर प्रति सत्र केवल 1.25 लाख छात्र परीक्षा देंगे। भारत के पास वर्तमान में टीसीएस आयन और अन्य सरकारी व निजी केंद्रों को मिलाकर प्रति शिफ्ट 2 से 3 लाख कंप्यूटर नोड्स की क्षमता आसानी से उपलब्ध है।

2. प्रश्नपत्रों का विविधीकरण और साइकोमेट्रिक नॉर्मलाइजेशन : जब परीक्षा 20 अलग-अलग सत्रों में होगी, तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सभी छात्रों को एक जैसा पेपर मिलेगा? और यदि पेपर अलग होंगे, तो निष्पक्षता कैसे तय होगी?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को विषय विशेषज्ञों की मदद से एक विशाल, कूटबद्ध और अत्यंत सुरक्षित क्वेश्चन बैंक तैयार करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का उपयोग करके परीक्षा शुरू होने से मात्र आधा घंटा पहले हर सत्र के लिए एक नया प्रश्नपत्र स्वचालित रूप से तैयार होगा। इसमें प्रश्नों के कठिनाई स्तर का अनुपात (सरल, मध्यम, कठिन) हर पेपर में समान रखा जाएगा। चूंकि अलग-अलग शिफ्ट के प्रश्नपत्रों के कठिनाई स्तर में आंशिक अंतर हो सकता है, इसलिए अंकों के बजाय परसेंटाइल स्कोर का उपयोग किया जाएगा, जैसा कि वर्तमान में जेईई में होता है। इसे यूनीफाइड नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला कहते हैं।

3. सीबीटी प्रणाली में पेपर लीक का पूर्ण उन्मूलन कैसे होगा? : पारंपरिक परीक्षा में पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि भौतिक प्रश्नपत्र परीक्षा से कई दिन पहले छपकर ट्रक, ट्रेजरी और स्ट्रांग-रूम के रास्ते केंद्रों तक पहुंचते हैं। सीबीटी इस पूरी शृंखला को ही समाप्त कर देता है। कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होगी, कोई बक्से नहीं होंगे और न ही कोई गाड़ी पेपर लेकर सड़क पर जाएगी। लीक होने का मुख्य जरिया ही खत्म हो जाएगा। प्रश्नपत्र पूरी तरह से एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड सर्वर पर रहेगा। परीक्षा शुरू होने से ठीक 15-30 मिनट पहले केंद्र के लोकल सर्वर पर इसे डाउनलोड करने की अनुमति मिलेगी। यदि किसी केंद्र पर कोई अनधिकृत प्रयास करके पेपर देख भी लेता है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हर छात्र के लिए प्रश्नों का क्रम और विकल्पों का क्रम पूरी तरह अलग होगा।

4. डिजिटल युग के अनफेयर मीन्स और छद्मवेष पर रोक : ऑनलाइन परीक्षा में हैकिंग, स्क्रीन शेयरिंग और डमी कैंडिडेट के रूप में नई चुनौतियां आती हैं। इन्हें रोकने के लिए निम्नलिखित आधुनिक तकनीकी कवच आवश्यक हैं:

परीक्षा के लिए उपयोग होने वाले कंप्यूटरों में आइसोलेटेड लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग होना चाहिए, जिसका बाहरी इंटरनेट से कोई संबंध न हो। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर आधार-कार्ड से लिंक फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेसिअल रिकग्निशन (चेहरे की पहचान) प्रणाली अनिवार्य हो। परीक्षा के बीच में कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक एक पॉप-अप आए, जो छात्र को दोबारा अपना अंगूठा लगाने या वेबकैम के सामने चेहरा दिखाने को कहे। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के समय परीक्षा केंद्र पर लिए गए बायोमेट्रिक डेटा का पुनः मिलान किया जाए। प्रत्येक परीक्षा हॉल के सीसीटीवी कैमरों का लाइव फीड एक केंद्रीय राष्ट्रीय कमांड सेंटर (जैसे नई दिल्ली) से जोड़ा जाए। एआई सॉफ्टवेयर छात्रों की संदिग्ध गतिविधियों (जैसे बार-बार नजरें चुराना, आपस में फुसफुसाना या स्क्रीन से ध्यान हटाना) को ट्रैक करके तुरंत स्थानीय इनविजीलेटर के पास रेड अलर्ट भेजेगा।

5. ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए चुनौतियां और समाधान : नीट परीक्षा में एक बड़ा वर्ग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, जिन्हें कंप्यूटर चलाने का पूर्व अनुभव नहीं होता या उनके क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी होती है। इस संवेदनशीलता को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:–

सरकार को देश के हर ब्लॉक और तहसील स्तर पर सरकारी स्कूलों या कॉमन सर्विस सेंटर्स में मुफ्त मॉक टेस्ट सेंटर स्थापित करने चाहिए। यहाँ ग्रामीण छात्र परीक्षा से 3-4 महीने पहले जाकर कंप्यूटर पर टेस्ट देने का अभ्यास कर सकें। सीबीटी का सॉफ्टवेयर इतना सरल होना चाहिए कि छात्र को केवल, 'Next', 'Save' और माउस से क्लिक करना हो।

निष्कर्ष :–25 लाख छात्रों की संख्या विशाल जरूर है, लेकिन आधुनिक भारत की तकनीकी क्षमता को देखते हुए यह असंभव नहीं है। जब देश में करोड़ों लोग एक ही दिन में डिजिटल भुगतान कर सकते हैं और एनटीए सफलतापूर्वक जेईई, सीयूईटी जैसी परीक्षाएं सीबीटी मोड में करा सकता है, तो नीट के लिए भी इसे पूरी तरह अपनाया जा सकता है। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के मुखिया के लिए सीबीटी प्रणाली एक ऐसा अभेद्य किला प्रदान करती है, जहां मानवीय भूल या भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। नीट को कंप्यूटर आधारित मोड में ले जाना न केवल चिकित्सा शिक्षा की शुचिता और गरिमा को बचाएगा, बल्कि देश के लाखों ईमानदार और प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य को भी सुरक्षित और अंधकारमुक्त करेगा।

–प्रोफेसर अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय

चमकती स्क्रीन, बुझते चेहरे : सोशल मीडिया पर 'परफेक्ट' दिखने का दबाव

अभिलाषा गर्ग

दिल्ली की मेट्रो हो, जयपुर का कोई कैफे या किसी कॉलेज का कैंपस – एक दृश्य अब हर जगह समान दिखाई देता है। चार दोस्त एक ही टेबल पर बैठे होते हैं, लेकिन बातचीत कम और मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां ज्यादा चल रही होती हैं। खाना सामने ठंडा हो जाता है, पर उसकी तस्वीर पहले इंटरनेट पर पहुंचती है। आज की युवा पीढ़ी एक ऐसे दौर में जी रही है, जहां जिंदगी को महसूस करने से ज्यादा उसे पोस्ट करना जरूरी समझा जाने लगा है। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन देखना और रात को आखिरी बार नोटिफिकेशन चेक करके सोना अब आदत नहीं, जीवनशैली बन चुका है। सोशल मीडिया ने हमारे रोजमर्रा के व्यवहार, सोच और आत्मविश्वास तक को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अब खुशी भी निजी एहसास कम और सार्वजनिक प्रदर्शन ज्यादा बनती जा रही है।

सोशल मीडिया कभी लोगों को जोड़ने और संवाद आसान बनाने का माध्यम था, लेकिन अब यह एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में बदल चुका है, जहां हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा ही दिखाना चाहता है। इंस्टाग्राम पर मुस्कुराते चेहरे, महंगी यात्राएं, ब्रांडेड कपड़े और परफेक्ट लाइफ की तस्वीरें लगातार हमारी स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। समस्या तस्वीरों में नहीं, बल्कि उनसे पैदा होने वाली तुलना में है। देखने वाला व्यक्ति अनजाने में अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों के "edited moments" से करने लगता है। उसे लगने लगता है कि बाकी सब लोग उससे ज्यादा खुश, सफल और संतुष्ट हैं। धीरे-धीरे यही तुलना आत्महीनता और मानसिक दबाव का कारण बनती है।

आज युवाओं के बीच FOMO यानी Fear Of Missing Out तेजी से बढ़ रहा है। अगर कोई पार्टी में नहीं जा पाया, किसी ट्रेंड का हिस्सा नहीं बन पाया या उसकी पोस्ट पर कम लाइक्स आए, तो उसे लगता है कि वह पीछे छूट रहा है। यह डर धीरे-धीरे बेचैनी और असुरक्षा में बदल जाता है।

मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। लाइक्स और कमेंट्स कुछ समय के लिए उत्साह देते हैं, लेकिन वही प्रतिक्रिया कम होते ही व्यक्ति खुद को अनदेखा महसूस करने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि आत्मविश्वास अब भीतर से नहीं, बल्कि स्क्रीन पर मिलने वाली प्रतिक्रिया से तय होने लगा है। आज सोशल मीडिया पर दुख से ज्यादा खुश दिखना जरूरी हो गया है। कई लोग मानसिक तनाव से गुजरते हुए भी ऐसी तस्वीरें पोस्ट करते हैं, जिनमें वे पूरी तरह खुश नजर आएं। मानो उदासी दिखाना कमजोरी हो।

यह धीरे-धीरे टॉक्सिक पॉजिटिविटी का रूप ले रहा है, जहां हर हाल में मुस्कुराना और सकारात्मक दिखना एक सामाजिक दबाव बन चुका है। जबकि सच्चाई यह है कि थकान, असफलता, अकेलापन और टूटन भी इंसानी जीवन का हिस्सा हैं। हर समय मजबूत दिखने की कोशिश इंसान को भीतर से और कमजोर बना सकती है।

विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहा है। लगातार तुलना करने की आदत कई युवाओं को अपनी उपलब्धियां छोटी लगने लगती है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी दूसरों जितनी रोमांचक नहीं है। यही वजह है कि आज कई युवा भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। विडंबना यह है कि कनेक्टेड दिखने वाली पीढ़ी भीतर से सबसे ज्यादा डिस्कनेक्ट होती जा रही है।

सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली दुनिया पूरी सच्चाई नहीं होती। वहां लोग अपनी जिंदगी के संघर्ष नहीं, केवल चमकदार हिस्से दिखाते हैं। कैमरे के पीछे की बेचैनी, असफलताएं और निजी संघर्ष अक्सर स्क्रीन तक पहुंचते ही नहीं। हमें यह समझना होगा कि डिजिटल पहचान और वास्तविक व्यक्तित्व अलग चीजें हैं। हर वायरल तस्वीर के पीछे खुश जिंदगी हो, यह जरूरी नहीं। सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर होना शायद आज संभव नहीं, लेकिन उसके प्रभाव को नियंत्रित करना जरूर संभव है। परिवार के साथ बिना मोबाइल समय बिताना, दोस्तों से आमने-सामने बातचीत करना, किताबें पढ़ना, प्रकृति के बीच समय बिताना और खुद के साथ कुछ शांत पल बिताना मानसिक संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। सबसे जरूरी बात- हर पल को इंटरनेट पर साबित करना जरूरी नहीं होता। जिंदगी कैमरे के फ्रेम से कहीं बड़ी होती है। और शायद इस दौर की सबसे सच्ची बात यही है –

आज लोग दुखी होने से ज्यादा, दुखी दिख जाने से डरते हैं।

आखिर में एक जरूरी सवाल

सोशल मीडिया एक माध्यम है, जीवन नहीं। किसी इंसान की पहचान उसके फॉलोअर्स, लाइक्स या वायरल पोस्ट से तय नहीं हो सकती। असली संतोष स्क्रीन की चमक में नहीं, बल्कि मन की शांति में मिलता है। अगली बार जब आप कोई तस्वीर पोस्ट करें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए –क्या मैं सच में खुश हूं, या सिर्फ खुश दिखाई देना चाहता हूं?

–अभिलाषा गर्ग, पत्रकार

राजस्थानी भाषा और राजस्थान को मिला न्याय : ऐतिहासिक निर्णय

राजेन्द्र जोशी

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है और देश की न्यायिक व्यवस्था उन अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च माध्यम है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय केवल न्याय देने वाली संस्था ही नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा और लोकतंत्र की मर्यादा का भी संरक्षक है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को लेकर दिया गया निर्णय न केवल शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक है, बल्कि राजस्थानी भाषा व संस्कृति के संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। लंबे समय से राजस्थानी भाषा प्रेमी यह मांग कर रहे थे कि राजस्थान के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तथा राजस्थानी भाषा को विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इस मांग के समर्थन में सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी स्तर पर निरंतर संघर्ष किया गया। अंततः यह संघर्ष सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा और न्यायालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने को अनिवार्य मानते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करता है, तो उसका मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास अधिक प्रभावी ढंग से होता है। न्यायालय ने यह भी माना कि बच्चों को उनकी समझ की भाषा में शिक्षा देना केवल एक शैक्षिणक आवश्यकता नहीं, बल्कि संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि प्राथमिक स्तर तक शिक्षा मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। इसके बावजूद राजस्थान सरकार अब तक यह तर्क देती रही कि राजस्थानी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए उसे विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि केवल आठवीं अनुसूची का हवाला देकर किसी भाषा को शिक्षा व्यवस्था से दूर नहीं रखा जा सकता। यदि किसी भाषा का व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक आधार है तथा वह लाखों लोगों की मातृभाषा है, तो उसे शिक्षा में उचित स्थान मिलना चाहिए। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह राजस्थानी भाषा को विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में ठोस कदम उठाए और निर्धारित समय सीमा में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। राजस्थान सरकार के लिए यह कार्य कठिन नहीं है, क्योंकि राजस्थानी भाषा पहले से विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जा रही है।

राजस्थानी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं, इतिहास और सामाजिक चेतना की वाहक भी है। शिक्षाविदों का भी मानना है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होने से बच्चों की समझने की क्षमता बढ़ती है। वे कठिन विषयों को सरलता से ग्राहण कर पाते हैं और शिक्षा उनके लिए बोझ नहीं बनती।

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय केवल राजस्थानी भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की सभी मातृभाषाओं और लोकभाषाओं के सम्मान का प्रतीक है। भारत विविध भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। यहाँ की प्रत्येक भाषा अपने भीतर एक इतिहास, संस्कृति और जीवन दृष्टि समेटे हुए है। यदि इन भाषाओं को शिक्षा और प्रशासन में उचित स्थान नहीं मिलेगा, तो हमारी सांस्कृतिक विविधता कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए यह निर्णय भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाएगा। राजस्थानी भाषा को विद्यालयी शिक्षा में शामिल करने की मांग करोड़ों राजस्थानी वर्षों से करते आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने उन सभी लोगों की आशाओं को नया बल दिया है, जो लंबे समय से राजस्थानी को उसका उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयासरत थे। अब आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकार इस निर्णय को केवल औपचारिकता तक सीमित न रखे, बल्कि गंभीरता के साथ लागू करे। सरकारी और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में प्रारंभ किया जाए। प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हो, गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें तैयार की जाएँ और बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का वास्तविक अवसर मिले।

निस्संदेह, सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय राजस्थान की भाषा, संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे न केवल बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी जड़ों, परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर से भी जुड़ी रहेंगी। यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र की उस संवेदनशीलता का उदाहरण है, जिसमें न्याय केवल कानून की व्याख्या तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज की वास्तविक आवश्यकताओं और सांस्कृतिक अधिकारों की भी रक्षा करता है।

–राजेन्द्र जोशी,
शिक्षाविद-साहित्यकार,
लेखक हिंदी-राजस्थानी के
वरिष्ठ साहित्यकार हैं।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 22 मई, 2026

प्रथम ज्येष्ठ मास (अधिक), शुक्ल पक्ष, षष्ठि तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2083, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 2:08 तक, वृद्धि योग प्रातः 8:19 तक, तैतिल करण प्रातः 6:25 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 2:08 से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-वृष, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-मेष, बुध-वृष, गुरू-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सप्तमी तिथि का क्षय हुआ है। आज से राष्टीय ज्येष्ठ मास आरम्भ होगा। आज राजा राममोहन राय जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 7:21 तक, लाभ-अमृत 7:21 से 10:43 तक, शुभ 12:23 से 2:04 तक, चर 5:26 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:40, सूर्यास्त 7:07

मेष
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। मन:स्थिति ठीक रहेगी। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
मन में असंतोष बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

मकर
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक विवादों का निपटारा हो सकता है।

कुंभ
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मीन
परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।